संसद की विधायी प्रकिया

Legislative Procedure of the Parliament

साधारण विधेयक संबन्धी प्रक्रिया साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है।

Procedure regarding Ordinary Bill An Ordinary Bill can be introduced in either House of Parliament by a Minister of the Government or a Member of Parliament

Bill विधेयक

- सरकारी (Govt.) ⇒ जब बिल मंत्री द्वारा पेश
- गैर-सरकारी (Non-Govt.) ⇒ जब बिल किसी MP के द्वारा पेश

साधारण विधेयक (ordinary Bill) ⇒ (RS) पेश (Introduced) ⇒ संसद के किसी भी सदन में (Either House of Parliament)

e.g. ⇒ पेश ⇒ LS में पेश (Introduced in LS)

⇒ चर्चा (Debate) ⇒ LS के सदस्य (MP)

⇒ पारित (Pass) ⇒ LS के सदस्यों द्वारा पारित (MP)

⇓ साधारण बहुमत (Simple Majority)

RS → पेश
→ चर्चा
LS → पारित (Pass) ⇒ साधारण बहुमत ⟶ Pass होकर → राष्ट्रपति
⇓
हस्ताक्षर (signature)
⇓
Act / Law

अथवा or

→ अस्वीकार (Reject) ✓
→ संशोधन कर सकती है जिससे LS सहमत न हो ✓
→ 6 माह तक बिल को अपने पास रख सकती है।

⇐ साधारण विधेयक पर

LS और RS के मध्य विवाद (Dispute)

⇒ साधारण विधेयक पर LS और RS के मध्य विवाद होने पर -

⇒ राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (joint session) बुलाते हैं → Art. 108

संयुक्त बैठक ⇒ अध्यक्ष → Speaker of LS (LS के अध्यक्ष) ✗
या or
→ Deputy speaker (उपाध्यक्ष) ✗
या or
⇒ Vice-chairman of Rs ✗
Rs के उपसभापति
या or
संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक
को इस बैठक का अध्यक्ष चुन लेते हैं।
↳ Choose

⇓

3 बार

→ संयुक्त बैठक में भी Bill साधारण बहुमत से पारित।

→ Quorum (गणपूर्ति) को बैठक से पहले चैक किया जाता है।
(RS × 1/10 / LS × 1/10)

विधेयक	वर्ष	प्रधानमंत्री
दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960	1961	जवाहर लाल नेहरू *
बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक	1978	मोरारजी देसाई अटल
आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002*	2002	बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी

धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया

Procedure for passing a Money Bill

धन विधेयक को संविधान के अनु. 110 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनु. 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।* अनु. 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

Money Bill is defined under Article 110 of the Constitution and special procedure is provided under Article 109 for its passing.* According to Article 109, Money Bill cannot be introduced in Rajya Sabha.

इसे केवल लोक सभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किये जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र भी संलग्न होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है।

It is introduced only in the Lok Sabha. The President's consent is necessary before the Money Bill is introduced in the Lok Sabha. After being passed by the Lok Sabha, the Bill is sent to the Rajya Sabha for its recommendation. A certificate from the Lok Sabha Speaker stating that the Bill is a Money Bill is also attached to it.

राज्यसभा को विधेयक 14 दिन के अन्दर सिफारिश सहित या रहित लोकसभा को लौटाना होता है।* यदि राज्य सभा 14 दिन के अन्दर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है

The Rajya Sabha has to return the bill to the Lok Sabha within 14 days with or without recommendations.* If the Rajya Sabha does not return the Money Bill to the Lok Sabha within 14 days

तो भी उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।*

However, on the expiry of the said period, the bill is deemed to have been passed by both the Houses. The President cannot return the money bill for reconsideration, because it is presented in the Lok Sabha only with his prior permission.*

Money Bill (धन विधेयक) – परिभाषा (Defination) → Art. 110

→ इस बिल की विशेष प्रक्रिया (special Procedure) Art. 109 में है।

→ Art. 109 → धन विधेयक केवल LS में पेश होगा, RS में यह पहले कभी पेश नहीं होता। इस बिल की शुरुआत LS से होती है।

↳ धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। (Money Bill Introduced in LS but After Approval by President)

(2) चर्चा (Debate) (3) LS से पारित → (RS) → RS इस बिल को केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है।

⇒ 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा इस बिल को पारित नहीं करती, तो यह बिल दोनों सदनों (LS or RS) द्वारा पारित माना जाता है।

⇒ राष्ट्रपति → धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो (Suspension Veto) का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अनुमति से ही बिल LS में पेश होता है।

⇒ आत्यंतिक वीटो ✓

⇒ पॉकेट वीटो ✓

संविधान संशोधन विधेयक (The Constitution Amendment Bill)

संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Can be introduced in either House of the Parliament.

LS/RS में से किसी भी सदन में पेश।

eg: (RS) ⇒ ① संविधान संशोधन विधेयक ⇒ ① RS में पेश
② चर्चा
③ पारित ⇒ विशेष बहुमत (2/3 बहुमत)

(LS) → ① पेश
② चर्चा
③ पारित → विशेष बहुमत (2/3 Majority)

→ राष्ट्रपति के पास - हस्ताक्षर (signature)

बिल समाप्त ←

अस्वीकार (Reject)
संशोधन और जिससे RS सहमत न हो / 6 माह तक अपने पास रखें

⇒ संविधान संशोधन बिल का दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।

⇒ राष्ट्रपति इस बिल पर किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 24 वां (A) 71 के द्वारा उन्हें इस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

Procedure of Constitution Amendment

Part (भाग) – XX (20), Art. 368

) प्रेरित (Inspired) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से

(1) साधारण बहुमत
⇓
इस बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं होता। ex.→
(2) उत्तराखंड, झारखण्ड छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विधान परिषद का निर्माण etc

(2) विशेष बहुमत (Special Majority) ⇒ सबसे अधिक संशोधन संविधान में इसी बहुमत से।

(3) विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति
Special Majority + Ratification of half states
ex. Art. 55, 54, 368 etc.

(28) - (14)

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

Annual Financial Statement (Budget)

अनुच्छेद 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' के बारे में है। (2017 के पूर्व भारत में दो तरह के बजट पेश किये जाते थे-

Article 112 is about the 'Annual Financial Statement' or 'Budget'. (Before 2017, two types of budgets were presented in India-

रेल बजट तथा आम बजट वर्ष 2017 में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया बजट में भारत सरकार की - आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है।

Railway Budget and General Budget In the year 2017, the Railway Budget was merged into the General Budget by the Narendra Modi Government. The budget contains details of the income and expenditure of the Government of India for the coming year and the financial policies of the government.

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)

अनु. 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।*

Article 114 states that no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except through an Appropriation Bill.*

प्रश्न काल (Question Hour)

कार्यवाही का प्रथम घण्टा (दोपहर 11 से 12 बजे तक) प्रश्न काल होता है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है।

The first hour of the proceedings (from 11 am to 12 noon) is called Question Hour. Questions are asked to the Council of Ministers for information on all kinds of national and international matters.

यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में (1721 में) शुरू हुई थी। * भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी।

This process was first started in England (in 1721). * In India, the process of asking parliamentary questions was first started in the Indian Council Act of 1892.

(i) (तारांकित प्रश्न (Stared Question)

(ii) (अतारांकित प्रश्न (Unstared Question)

(iii) (अल्प सूचना प्रश्न Short Notice Questions)

अल्प सूचना प्रश्न का सम्बन्ध किसी लोकमहत्व के तात्कालिक मामले से होता है;

Short notice question relates to an immediate matter of public importance;

(शून्यकाल (Zero Hour)

प्रश्न काल के तुरन्त बाद का एक घण्टे का समय शून्य काल कहा जाता है इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है इसे 'प्रश्न-उत्तर सत्र' भी कहा जाता है।*)भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' शब्द का उल्लेख नहीं है।

The one hour time immediately following the Question Hour is called Zero Hour. In this any question of public importance can be raised without prior notice. It is also called 'Question-Answer Session'.*) The term 'Zero Hour' is not mentioned in the Indian Parliamentary Procedure.

चूंकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे (00 बजे) आरम्भ होता है अत: मीडिया द्वारा इसे शून्य काल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भारत की देन है। इसका आरम्भ 1962 मे किया गया तथा वर्तमान में शून्य काल के दौरान कुल 20 मामले उठाये जा सकते हैं

Since this time starts exactly at 12 noon (00 o'clock), the media has named it Zero Hour. Thus, Zero Hour is India's contribution to the parliamentary system. It was started in 1962 and currently a total of 20 cases can be raised during Zero Hour.

(अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।* अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

No-confidence motion is not mentioned in the Constitution of India. * No-confidence motion is associated only with the proceedings of the Lok Sabha. It is presented by the opposition party or opposition parties in the Lok Sabha.

लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसर्मथन आवश्यक है* इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है*

The no-confidence motion must be ratified by at least 50 members of the Lok Sabha. This motion expresses no confidence in the Council of Ministers.

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

After the discussion on the proposal is completed, the speaker puts it to vote in the Lok Sabha, and if this proposal is passed in the Lok Sabha then the Council of Ministers has to resign.

सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरु मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था।*

The first no-confidence motion was brought against the Jawaharlal Nehru cabinet by Acharya Kripalani in 1963.*